

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर- 60/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उन्वान

1- रामू पत्नी शंकर गुजर निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

- 1- सांवरलाल पिता कैलाश चन्द्र गर्ग निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- तेज सिंह पिता दलेल सिंह राजपुत निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- उगमी पत्नी भीमा गुजर निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- अलताफ हुसैन पिता फकरुद्दीन रंगरेज निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- कैलाश पिता महादेव जाट निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6-तहसीलदार बनेड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
अधिवक्ता प्रार्थी:- के.के.जीनगर

## निर्णय

दिनांक :- 07/03/2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता सं. 498 के आराजी नम्बर 3122/2575 किता 01 रकबा 0.5944 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के अप्रार्थीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का

अवलोकन किया गया। ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता सं. 498 के आराजी नम्बर 3122/2575 किता 01 रकबा 0.5944 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

